न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई आर.ए.एस.

रसद विविध :: 266 / 2018 ::
आर.सी.एम.एस. नम्बर :: 2018 / 00359 ::

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थी:–
सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, रानी		अयुब खां पुत्र मुराद खां निवासी मैन सड़क पंचायत समिति के पास, नगर पालिका रानी, हाल मालिक मैसर्स मकरानी कार बाजार मैन सड़क कुनपुरा रोड़ नगर पालिका रानी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार
अप्रार्थी की ओर से गजेन्द्र सिंह अनुपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक : 31/12/2018

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध उनकी फर्म मै. मकरानी कार बाजार मैन सड़क केनपुरा रोड नगर पालिका रानी जिला पाली (राज.) वक्त निरीक्षण दिनांक 02.06.2018 को मौके पर 3 घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.2 किग्रा) बीपीसी कम्पनी शिल्ड पैक पूर्ण गैस से भरे हुई व 1 गैस भरने की इलेक्ट्रीक मशीन मय रेग्यूलेटर व नली का अवैध संग्रहण किए जाने पर जब्त कर राज्यसात करने हेतु पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि दिनांक 02.06.2018 को घरेलू गैस सिलेण्डर की कालाबाजारी व अवैध रिफिलिंग की रोकथाम हेतु मय जिला रसद अधिकारी श्री दिनेश बिश्नोई (प्रशिक्षु आर.ए.एस.) के साथ रानी स्थित मै. मकरानी कार बाजार, मैन सड़क, केनपुरा नगर पालिका रानी जिला पाली पर पहुचें। मौके पर अप्रार्थी श्री अयुब खां पुत्र मुराद खां उपस्थित मिला व उसने बताया कि वह स्वयं ही फर्म का मालिक है। प्रार्थी ने मौके पर रूबरू मौतबिरान री अफजल खां पुत्र छुटटन खां निवासी ईदगाह रोड, प्रताप बाजार, रानी स्टेशन, रानी की उपस्थिति में प्रतिष्ठान की जांच करने पर 3 घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.2 किग्रा) बीपीसी कम्पनी शिल्ड पैक पूर्ण गैस से भरे हुई व 1 गैस भरने की इलेक्ट्रीक मशीन मय रेग्यूलेटर व नली पाये गए। मौके पर अप्रार्थी से विधिक दस्तावेज मांगने पर भरे हुए घरेलु गैस सिलेण्डर संग्रहण करने अथवा बिक्री करने से संबंधित किसी प्रकार के वैद्य दस्तावेज नहीं पाये गए न ही अप्रार्थी ने अपने नाम गैस कनेक्शन होना जाहिर किया। अप्रार्थी द्वारा वैद्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए जाने पर प्रार्थी ने मैसर्स सतगुरू गैस सर्विस फालना के प्रतिनिधी से उपरोक्त जब्तसुदा सिलेण्डरों का तौल हैंगिंग स्केल मंगवा कर करवाया गया तथा इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग में लेते हुए एवं संग्रहण करते हुए पाए जाने के फलस्वरूप द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना करने पर उपरोक्त सामग्री को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु श्री फिरोज अली पुत्र रूस्तम अली निवासी सुभाष रोड फालना हाल डिलीवरीमेन मैसर्स सतगुरू गैस सर्विस, फालना को सुपुर्दगीनामे पर दिये गये। उपरोक्त समस्त कार्यवाही के संबंध में मौके पर मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स भी लिए गये जो पत्रावली संलग्न है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त गैस सिलेण्डरो को बिना वैध परमिट के संग्रहण कर व अवैध रिफिलिंग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3 ए, सी की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध है। अतः निवेदन है कि जब्तसुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों एवं अन्य सामग्री को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

अति० जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब में उल्लेख किया कि अप्रार्थी के घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध व्यवसाय नहीं करता है, न ही मौके पर उसे ऐसा करते हुए पकड़ा गया है। उसकी दुकान से जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर उसके स्वयं के है, जो वह गैस भरवाने हेतु लेकर आया था। जिसे प्रार्थी ने जब्त कर लिया। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर जब्त सुदा सामग्री को रिलीज फरमावें।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी के जवाब व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी ने जैर प्रार्थना पत्र जब्तसुदा 3 घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.2 किग्रा) बीपीसी कम्पनी शिल्ड पैक पूर्ण गैस से भरे हुई व 1 गैस भरने की इलेक्ट्रीक मशीन मय रेग्यूलेटर व नली उनके व्यावसायिक परिसर मैसर्स मकरानी कार बाजार, मैन सड़क केनपुरा रोड नगर पालिका रानी जिला पाली (राज.) में पाया गया। इस संबंध में अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र एवं गैस कनेक्शन संबंधी वैध दस्तावेज निरीक्षणकर्ता प्रार्थी के समक्ष वक्त निरीक्षण पेश नहीं किए गए तथा अप्रार्थी ने अपने जवाब में स्पष्ट नहीं कर पाए की उनके प्रतिष्ठान से प्राप्त घरेलू सिलेण्डर में गैस भरवाने हेतु रखा हुआ था। जब्तसुदा सिलेण्डर सभी पूर्ण रूप से भरे हुए थे तथा दुकान से प्राप्त एक इलेक्ट्रोनिक मशीन व रग्यूलेटर व नली से उसके द्वारा अवैध व्यवसाय करना स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी की दूकान से प्राप्त सिलेण्डर उसके घरेलू उपयोग के है तथा अप्रार्थी उनका उपयोग अपने प्रतिष्ठान में अवैध गैस रिफिलिंग के लिए करता था। ऐसी परिस्थिति में यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री अयुब खां द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना किए जाने से घरेलु गैस सिलेण्डर को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित पाते हैं।

परिणामस्वरुप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध संग्रहण एवं अवैध रिफिलिंग किए जाने पर 3 घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.2 किग्रा) बीपीसी कम्पनी शिल्ड पैक पूर्ण गैस से भरे हुई व 1 गैस भरने की इलेक्ट्रीक मशीन मय रेग्यूलेटर व नली पायी गयी को राज्यसात (Confiscate) किया जाता हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा घरेलु गैस सिलेण्डरो को मय गैस संबंधित कम्पनी में जमा करवाकर एवं इलेक्ट्रीक मोटर, रेग्यूलेटर व नली को नीलाम कर उससे प्राप्त राशि को राजकीय कोष में जमा कर पालना रिपोर्ट भिजवावें।

निर्णय आज दिनांक 31/12/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति जिला कलेक्टर, पाली
अति० जिला कलेक्टर, पाली